

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**

क्रमांक/सरिश्ता/5-04(4)2018

दिनांक : 21 मार्च, 2024

निमित्त,

तहसीलदार,  
राशमी

विषय :- सरकार बनाम उदयराम पिता छोगालाल अहीर  
निवासी लालपुरा में जुर्माना अधिरोपित के संबंध  
में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान से संबंधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84-86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सरकार बनाम उदयराम पिता छोगालाल अहीर निवासी लालपुरा में न्यायालय आदेश दिनांक 21.03.2024 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 86 क (1) के तहत प्रति पेड अधिकतम जुर्माना 100/-रुपये प्रति पेड से कुल 100 /- रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी से 100/- रुपये नियमानुसार वसूल कर राजकोष मे जमा करवाते हुए पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(गोविन्द सिंह)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
राशमी

